

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग

पत्रांक: वि० प्रा० (1) छात्र-03/2004/

दस्तावेज

विनय कुमार, भा० प्र० सी०

निदेशक

सेवा में

प्राचार्य/विशेष कमरे पदाधिकारी

राजी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान

एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान।

सचिव, राज्य प्राविधिकी शिक्षा परिषद।

विषय:—नामांकन शुल्क वापस करने के संबंध में।

सन्दर्भ:—पूर्व का विभागीय पत्रांक-1121, दिनांक-10.05.2011 एवं 595 दिनांक-06.03.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि:-

1. शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क की राशि एकमुश्त न लेकर सत्रवार ली जाय।
2. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान एवं राजकीय मातृ पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों से ली गयी/ली जाने वाली शुल्क, छात्रों द्वारा प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में किसी कारणवश नामांकन वापस लिये जाने पर शुल्क के रूप में जमा की गई राशि में से प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रु-1000/-की कटौती कर शेष राशि छात्रों को वापस कर दी जायेगी।
3. शुल्क वापस किये जाने हेतु फॉर्म में निर्गत राशी आवेदन इस हद तक संशोधित समझी जायगी।
कृपया इसे दृढ़ता-पूर्वक लागू किया जाय।

ह०/

निदेशक

विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (1) छात्र-03/2004/

123 /पटना, दिनांक- 17-1-014

प्रतिलिपि:-राजी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर को आवश्यक सूचनाएं एवं कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग

बिहार, पटना।